न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 05/2013

1. सर्वजीतसिंह पुत्र स्व. सन्तोष सिंह जाति राजपूत निवासी 11493–75 ए वी ई बीसी वी 3 टी मैन्युवर कैनाडा हाल निवासी 11 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखवन्त सिंह } पिसरान अमरीकसिंह जाति जटसिख साकिन 3 पी.एस.
3. कुलवन्त सिंह } तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. चरणजीत सिंह पुत्र स्व. सन्तोख सिंह जाति राजपूत ए वी ई बीसी वी 3 टी मैन्युवर कैनाडा हाल निवासी 11 जैड तहसील जिला श्रीगंगानगर।

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता — अपीलान्ट
2. लखवीर सिंह अधिवक्ता — रेस्पोडेन्ट संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26-9-16

अपीलान्ट की ओर से इन्तकाल नम्बर 227 दिनांक 05.05.2012 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम से चक 11 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 17 मुरब्बा नम्बर 24 के 6.325 हैक्टर में 2.777 हैक्टर दर्ज कागजात राज है, तथा जमीन को ठेका काश्त करवाया जाता रहा दिसम्बर 2012 में यह पता चला कि कथित मुखत्यारनामा की आड़ लेकर उनकी भूमि का बैयनामा ही करवा लिया गया है। तो उसनें छानबीन करना शुरू किया तथा इसी क्रम में जब वह पटवारी हल्का से दिनांक 27.01.2013 को मिला तो उससे पता चला कि भूमि का तो इन्तकाल ही हो चुका है, एक इस्तगासा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 श्रीगंगानगर में धारा 420श 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. का किया गया तथा इस पर थाना सदर श्रीगंगानगर में एक एफ.आई.आर. संख्या 18 दिनांक 08.01.2013 भी दर्ज हुई तथा वकिल से दिनांक 27.01.2013 को कानूनी राय हासिल करके इन्तकाल की नकल 29.01.2013 को हासिल की जाकर यह अपील पेश की है।

इन्तकाल करनें से पूर्व ना तो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4 को पंचायत नें नोटिस जारी किया ना मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया ना ही इस बात की जांच की गई कि कथित बैयनामा सही है या नहीं जबकि बैयनामा फ्राड से करवाया गया व शुरू से ही शुन्य है। इस बारें में अपीलान्ट ने ना केवल फौजदारी मुकद्मा दर्ज करवा रखा है बल्कि सिविल कोर्ट में दावा किया जाकर बैयनामा को निरस्त करवाया जा रहा है। इस प्रकार से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 हर प्रकार से ही प्रभावित पक्षकार थे तथा बिना उनको बुलाए सुने ही आदेश पारित किया गया इन्तकाल किया गया जो कि स्पष्ट तौर से गल्त व एक तरफा होनें से निरस्तनीय है, क्योंकि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो की पालना नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत नें किसी प्रकार से ना तो मिटिंग करके कोई प्रस्ताव पास किया ना ही कभी कोई कमेटी गठित की ना ही किसी कमेटी से जांच करवाई ना ही कमेटी नें किसी

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

तरह से ऐसी कोई रिपोर्ट की कि इन्तकाल किया जावे ना ही कोई आपत्ति पेश करनें की सूचना प्रकाशित की ना ही किसी प्रकार से मजमें आम में जांच की गई ना ही किसी प्रकार से दैनिक समाचार पत्र में को भी आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाई कि किसी को आपत्ति हो तो वह इतनें दिनों में एतराज पेश कर सकता है। बल्कि चुपचाप मिली भगत करके समस्त कार्यवाही की गई है अतः इन्काल जेर अपील स्पष्ट तौर से ही गल्त व एकतरफा होनें से निरस्तनीय है।

A7/~

पंचायत ने ना तो इन्तकाल नियमों का कोई पालना की ना ही लैण्ड रिकार्ड रूल्स की धारा 119 से 126 तक के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई ना ही कब्जा की जांच करवाई गई क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4 ही वास्तव में मालिक खातेदार है। तथा कब्जा उनका है। क्योकि उनके द्वारा हिस्सा ठेका पर कास्त करवाई जानें के कारण कब्जा वास्तविक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 4 का ही रहा है। अतः कब्जा के अभाव में भी इन्तकाल रेस्पोडेन्ट 2 व 3 के नाम से नहीं किया जा सकता था अतः ग्राम पंचायत नें इस अहम तथ्य पर गौर नहीं किया है अगर अपीलान्ट को नोटिस दिया जाता व बुलाया जाता तो सही तथ्य अदालत मातहत के समक्ष आते व ऐसा आदेश पारित ना किया जाता।

पंचायत को बैयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जानें का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ना तो पंचायत किसी बैयनामा के बारें में जांच कर सकती है ना ही साक्ष्य ले सकती है, ना ही इन्तकाल ही कर सकती है। इन्तकाल मिली भगत करके चुपचाप ही करवाया गया है पंचायत नें कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 15.03.2013 को स्वयं उपस्थित आये तत्पश्चात कभी भी तारिख पेशी पर उपस्थित नहीं आये तथा ना ही किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत अथवा जबाब अपील मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत की तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को रजिस्टर्ड सम्मन से सूचित किये जानें के उपरान्त भी उपस्थित नही आनें के कारण दिनांक 07.01.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की और से विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुए दिनांक 05.09.2016 को अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथा दिनांक 08.09.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई।

हमने बहस पर मनन किया एंवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि पंचायत 9 जैड का नामान्तरकरण संख्या 227 दिनांक 05.05.2012 बैयनामा के आधार पर स्वीकृत किया है। चुँकि सामान्यतः बैयनामा के आधार पर जो नामान्तरकरण दर्ज किया गया है, अन्य में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिये यह तथ्य अस्वीकार है, कि नामान्तरण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दर्ज किया गया है। जब तक बैयनामा सक्ष्म न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी नहीं हो जाता तब नामान्तरणकरण को खारिज नहीं किया जा सकता। अपिलान्ट द्वारा यह कथन भी किया गया है, कि नहीं कि इस्तगासा अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 श्रीगंगानगर में धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई.पी.सी. का किया गया तथा इस पर थाना सदर श्रीगंगानगर में एक एफ.आई.आर. संख्या 18 दिनांक 08.01.2013 दर्ज है अतः यह स्पष्ट है, कि जब तक उक्त प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता है, या सिविल न्यायालय द्वारा बैयनामा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रकरण विवादित होनें के कारण नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होनें के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26-9-16...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर